



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

# प्रेस विज्ञप्ति

संख्या— 444  
13/06/2018

राजभवन में सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रम (CBCS- Curriculum) पर विशेषज्ञ समिति की तीन दिवसीय बैठक

पटना, 13 जून 2018 :- राजभवन में आज दूसरे दिन भी 'Choice Based Credit System' (CBCS) के कार्यान्वयन के क्रम में उसके मॉडल पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने हेतु 'विशेषज्ञों की समिति' (Panel of Experts) की बैठक सम्पन्न सम्पन्न हुई। ज्ञातव्य है कि यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में प्रथम चरण में स्नातकोत्तर स्तर एवं बाद में स्नातक स्तर पर 'सी.बी.सी.एस.' पाठ्यक्रम एवं पद्धति लागू करने का निर्णय लिये जाने के बाद उसके पाठ्यक्रम-निर्धारण का काम अंतिम चरण में है। इसके लिए 12 से 14 जून, 2018 तक तीन दिनों की विशेषज्ञ समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अपर सचिव श्री विजय कुमार एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (वि.) श्री संजीव कुमार सहित सभी विशेषज्ञ शिक्षाविद् और विद्वान प्राध्यापक उपस्थित थे।

राज्य के आठ विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न विषयों के तैयार किए गए सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रमों को 'विशेषज्ञ समिति' द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए जाने हेतु कुल 34 विषयों के लिए 34 विशेषज्ञ समितियाँ गठित की गई हैं। प्रथम दिन 12, दूसरे दिन 12 एवं तीसरे दिन 10 विषयों पर अलग-अलग विशेषज्ञ समितियों की बैठक हो रही है।

कल प्रथम दिन 12 जून, 2018 को भौतिकी, गणित, भूगोल, पी.एम.आई.आर. एंड एल.एस.डब्ल्यू., सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, इतिहास, मगही, जीव विज्ञान (Zoology), समाजशास्त्र/Anthology, कम्प्यूटर विज्ञान तथा अंग्रेजी विषय के लिए विशेषज्ञ-समितियों की बैठक सम्पन्न हुई।

आज दूसरे दिन 13 जून को अरबी, संगीत, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान (Botany), पारसी, बंगाली, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, भोजपुरी, मनोविज्ञान एवं वाणिज्य प्रबंधन की विशेषज्ञ-समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

कल अंतिम तीसरे दिन 14 जून को मैथिली, बायोकेमिस्ट्री, उर्दू, हिन्दी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्राचीन इतिहास/Archaeology/बुद्धिस्ट स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी एण्ड माइक्रोबॉयलॉजी, Geology, रसायनशास्त्र, AECC I & II, AEC एवं कम्पलसरी कोर्सेज की बैठक आयोजित होगी।

इन सभी विशेषज्ञ समितियों में 3 से 5 सदस्यों को पाठ्यक्रम को परिमार्जित करने के लिए रखा गया है। एडवायजरी कमिटी की अनुशंसा के आलोक में गठित विशेषज्ञ-समितियों द्वारा परिमार्जन (Modification) के बाद यू.जी.सी. के 'मॉडल पाठ्यक्रम' के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए तैयार सी.बी.सी.एस. पाठ्यक्रमों को सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया जाएगा, जिसे वे आवश्यकतानुरूप अधिकतम 20 प्रतिशत संशोधनों के साथ अपने यहाँ इसे लागू कर सकेंगे।

.....